



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771-2970070

Email add- hocecb@gmail.com

विज्ञापित क्र. /स्था./छ.ग.प.सं.म./2015

रायपुर, दिनांक

// विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **07.01.2016** से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1. परीक्षा की तिथि – 21 फरवरी 2016, रविवार,
2. परीक्षा का समय – रसायनज्ञ पद हेतु – अपराह्न 2.00 से 5.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 07.01.2016 (गुरुवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर } – 18.01.2016, रात्रि 11.59 तक (सोमवार)
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि }
ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु } – 20.01.2016, सायं 5.00 तक (बुधवार)
SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि }
ऑफलाइन (SBI Bank के चालान द्वारा) } – 21.01.2016 बैंक के कार्यालयीन समय तक
पेमेन्ट की अंतिम तिथि } (गुरुवार)
4. परीक्षा शहर एवं कोड – बिलासपुर (13), रायपुर (25)

परीक्षा शुल्क :-

सामान्य वर्ग	–	350 /–
छ.ग. के अन्य पिछड़ा वर्ग	–	250 /–
छ.ग. के अनुसूचित जाति/जनजाति	–	200 /–
सभी निःशक्तजन	–	200 /–

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

पदनाम	वेतनमान रु.	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद								शैक्षणिक योग्यता
			कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू. सै.	निःशक्त जन	योग	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	
रसायनज्ञ	9300-34800+ ग्रेड पे 4200	तृतीय	10	अनारक्षित	02	01	—	01 (OA, OL,HH)	04	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र , विषय में स्नातक उपाधि
				अनु.ज.जा.	02	01	—	—	03		
				अ.जा.	01	—	—	—	01		
				अ.पि.व.	02	—	—	—	02		

नोट :- OA— एक हाथ से निःशक्त, OL—एक पैर से निःशक्त, HH—श्रवण बाधित ।

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के रिटपिटिन क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होंगे ।

महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

आयु सीमा :-

1. उम्मीदवार की आयु दिनांक 01/01/2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी का [प्रमाण-पत्र/अंकसूची](#) एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. नियम एवं शर्त :-

1. आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
2. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा।
3. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है।
4. महिलाओं को नियमानुसार हारिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे। वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।
5. भूतपूर्व सैनिकों को, विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा।
6. उपरोक्त पदों पर चयन के समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ के जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

8. आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
9. आवेदक को पद के लिये निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा/चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
10. संबंधित पद के लिये वांछित शैक्षणिक आर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियुक्ति के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
13. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
14. कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

15. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जायेगी।

3. चयन प्रक्रिया

- 1- उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा दस्तावेज परीक्षण पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- 2- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- 3- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को होगा।
- 4- चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।
- 5- अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अधधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- 6- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय, सेवा समाप्ति की जा सकती है।
- 7- चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- 8- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को होगा।
- 9- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष परीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- 10- चयन प्रक्रिया के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

4. नियुक्ति हेतु चयन विधि

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा बहुविकल्प आधार पर आयोजित की जाएगी। पद अनुसार परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है :-

रसायनज्ञ – कुल अंक 200, कुल प्रश्न 150

1. सामान्य ज्ञान – 100 प्रश्न, 100 अंक
2. विषय(ऑप्शनल)– [जीवविज्ञान/पर्यावरण](#) विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र (सिलेबस संलग्न) (इनमे से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा।) – 100 अंक

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी नियम व्यापम की वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर